न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

अपील/आरटीए /421/20121

पीताम्बरदास . बनाम चन्दकान्त

दिनांक	कार्यवाही विवरण	की गई कार्यवाही मय इन्यीसीयियल
29.6.2018	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट की पुश्तैनी आराजियात ग्राम सुल्तानपुरा में स्थित है एवं उक्त भूमि मुतवफी सरस्वतीदास आत्मज भगवतीदास माफी की होकर विरासतन अविभक्त चली आ रही है। सरस्वतीदास का इन्तकाल हो जाने से दुर्गादास, शिवदास, पुरूषोत्तमदास जो कि उनके पुत्र थे के कब्जे में आई एवं दुर्गादास जी भी फौत हो चुके हैं जिनका अपीलाण्ट पुत्र है व दूसरा पुत्र चण्डीदास है । इसी प्रकार शिवदास के शकुन्तला, शक्तिदास, मृत्युन्जयदास तथा पुरूषोत्तमदास के मन्जूलता वीरेन्द्रदास वारिसान है। कुलिया भूमि पर सभी लोग अपने–अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। सरस्वती दास के खिलाफ सिलिंग कानून के तहत फर्दन–फर्दन अदालतों में कार्यवाही लंबित है । बन्दोबस्ती कार्यवाही के दौरान बिना अधिकारिता के चन्द्रकान्त के नाम वादग्रस्त आराजियात की पानडी तकसीम कर रेकार्ड में चन्द्रकान्त के नाम पर तरतीब दे दिया । उसी को आधार बनाकर चन्द्रकान्त न अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को बिना पक्षकार बनाये स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/प्रार्थी ने पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी प्रस्तुत किया जिस पर राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही चन्द्रकान्त ने ही कोई जवाब दिया । उसके बावजूद अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी/प्रार्थी के हक हित निहित है यदि अपीलार्थी/प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया अपीलार्थी को न्याय नहीं मिल पायेगा । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में अपीलार्थी/प्रार्थी को पक्षकार संयोजित किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी के आदेश की अपील माननीय न्यायालय में नही होती है । उक्त प्रार्थना पत्र के आदेश की रिविजन माननीय राजस्व मण्डल में होती है। माननीय न्यायालय को इसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे। हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी/प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी प्रस्तुत किया । उसमें पारित अपीलाधीन आदेश की अपील नहीं होकर रिविजन की जाती है । इस न्यायालय को अपीलाधीन आदेश की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पारित आदेश की सक्षम न्यायालय में रिविजन प्रस्तुत कर दाद हासिल करने के लिए स्वतंत्र है। अतः अपील	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही होने से खारिज की जाती है। तदनुसार पंत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 29.6.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

29/6/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व
अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा